बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

निविदा सूचना
सं० 13/2018–19

1. विभाग का नामः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पताः निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
3. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समयः 31–12–2018 को 1.00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समयः 31–12–2018 को 2.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः 31–12–2018 को 3.00 बजे अपराह्न तक।

क्रम सं०	निविदा का विवरण।	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में मोबाईल फूड वैन पर खाद्यानों की बिक्री।	रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये)	चार माह के कुल मासिक रेंट की पचीस प्रतिशत राशि।	रू० 2000/ (रूपये दो हजार) प्रति।

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र निदेशक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in/www.zoopatna.com पर देखा जा सकता है।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में मोबाईल फूड वैन पर खाद्यान सामग्रियों की बिक्री के लिए निविदा शर्तें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में दर्शकों की सुविधा के लिए मोबाईल फूड वैन (साईजः अधिकतम 12 फीट लम्बा एवं 6 फीट चौड़ा) पर विभिन्न प्रकार के खाद्यान सामग्री, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि की बिक्री के लिए विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदायें निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना के पदनाम से दिनांक 31–12–2018 के 2.00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा निविदाकर्त्ताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय यदि कोई निविदाकर्त्ता / उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा।

2. निविदा के निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों की प्रति निदेशक के कार्यालय से रूपये 2000/– (दो हजार) प्रति की दर से कार्यावधि में प्राप्त किये जा सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों को वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित करते हैं, उन्हें निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में 2000/– (दो हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक/डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में एवं पटना में भुगतेय होगा।

3. निविदाकर्त्ता निर्धारित प्रपत्र में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफों में उसपर तकनीकी बिड अथवा वित्तीय बिड जो भी हो, लिखेंगे तथा उसे सीलबंद कर अपना नाम, पता लिखेंगे। पुनः उन दोनों लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) को एक मुख्य बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर उसपर भी अपना नाम, पता लिखेंगे और अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर निविदा बक्सा में डालेंगे। निविदाकर्त्ता मुख्य बड़े लिफाफे में ''मोबाईल फूड वैन पर खाद्यानों की बिक्री के लिये निविदा'' अवश्य अंकित करेंगे।

4. निविदा अवधि दिनांक **01–01–2019 से 30–04–2019** (चार माह) तक के लिए होगी। विशेष परिस्थिति में इसका अवधि विस्तार किया जा सकता है।

5. निविदाकर्त्ता अपनी निविदा के साथ रूपये 50,000/– (रू० पचास हजार) की सत्यंकार/अग्रधन राशि जमा करेंगे। यह सत्यंकार राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में एवं पटना में भुगतेय होना चाहिये। तकनीकी बिड के साथ सत्यंकार राशि नहीं रहने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

6. सफल निविदाकर्त्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर रू० 1000/– (एक हजार रूपये) के नन्–जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वंय लाकर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा।

7. निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर जमानत की राशि के रूप में निविदा राशि की चार माह की कुल राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमा करना होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर० अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के रूप में होगा एवं निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में प्लेज्ड होना चाहिए। सफल निविदाकर्त्ता द्वारा निर्धारित समय पर जमानत/प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने तथा एकरारनामा नहीं करने पर सत्यंकार/अग्रधन की राशि को राज्यसात कर ली जायेगी।

कृ०पृ०उ०

8. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि (मासिक रेंट) जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदाकर्त्ता को उक्त मोबाईल फूड वैन के संचालन की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्त्ता जमानत की राशि तथा एक माह का अग्रिम राशि निर्धारित समय तक जमा करने एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन/सत्यंकार राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

9. निविदाकर्त्ता को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम रेंट जमा करना होगा। 10 तारीख तक निर्धारित रेंट जमा नहीं करने की स्थिति में 3% वृध्यात्मक शुल्क जोड़ कर भुगतान करना होगा। लगातार 03 (तीन) माह तक रेंट (3% वृध्यात्मक शुल्क सहित) जमा नहीं करने पर अगले माह जमानत की राषि राज्यसात करने तथा निविदा रद्द करने का अधिकार निदेषक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

10. निविदाकर्त्ता को G.S.T. का निबंधन होना चाहिए। निविदाकर्त्ता अपनी निविदा के साथ G.S.T. निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

11. निविदाकर्त्ता को **तकनीकी बिड** के साथ निम्नांकित कागजातों को समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(I) निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रमाण (रसीद की छायाप्रति)

(II) यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में रू० 2000/– (दो हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट।

(III) सत्यंकार राशि के रूप में रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक/डिमांड ड्राफ्ट।

(IV) G.S.T. से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)

(V) निविदाकर्त्ता द्वारा अद्यतन वार्षिक जी०एस०टी० रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। (*)

(VI) पैन/टैन के निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। निविदाकर्त्ता विगत दो वर्षों (वर्ष 2016–17 एवं 2017–18) का आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। (*)

(VII) पहचान–पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(VIII) निविदा समर्पित करने के लिए योग्यता एवं रूपरेखा अर्थात् अनुभव, वर्त्तमान् में कहाँ और किस प्रकार के विधिवत निबंधित होटल / निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर के संचालक हैं और कबसे संचालित कर रहे हैं और उनके होटल/ रेस्तराँ/ फुड काउन्टर में कौन–कौन सी सामग्री बेची जा रही है, इत्यादि से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा **जैविक उद्यान में मोबाईल फूड वैन पर कौन–कौन सी सामग्री बेची जायेगी, इससे संबंधित एक विस्तृत योजना** समर्पित करना आवश्यक होगा। उक्त प्रतिवेदन निविदा अभिलेखों के अंश माने जायेंगे। **बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों को पृथक–पृथक सूची उपरोक्त प्रतिवेदन में अवश्य शामिल करना होगा।(*)**

(IX) फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र की मूलप्रति।

(X) सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्त्ता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा–पत्र।

कृ०पृ०उ०

नोटः– (*) निविदा खोलने के समय स्वःहस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित छायाप्रति की मूलप्रति निविदाकर्त्ता को दिखाना होगा अन्यथा तकनीकी बिड को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

12. **वित्तीय बिडः**

निविदाकर्त्ता **वित्तीय बिड** में प्रतिमाह प्रति मोबाईल फूड वैन की दर से संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को दी जाने वाली राशि अंक एवं शब्द दोनों में साफ–साफ लिखेंगे। यदि किसी विशेष परिस्थितिवश निविदाकर्त्ता द्वारा राशि को बदला जाता है तो पूर्व में अंकित राशि को हस्ताक्षर सहित पेन (कलम) से एक बार में काटकर पुनः साफ–साफ अंक एवं शब्द में लिख सकते हैं, परन्तु किसी भी परिस्थिति में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। एक से अधिक दर अंकित करने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। निविदाकर्ता द्वारा अर्पित दर कर–रहित होगा। सभी प्रकार के करों का भुगतान सफल निविदाकर्ता को अर्पित दर के अतिरिक्त अलग से स्वंय करना होगा।

13. सफल निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा अवधि के बीच में मोबाईल फूड वैन संचालन करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि निविदाकर्त्ता/संचालक द्वारा निविदा अवधि में संचालन से इंकार किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में दुकान संचालक को कम से कम दो माह का पूर्व/अग्रिम सूचना निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को देना बाध्यकारी होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि की विमुक्ति पर निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अन्तिम होगा तथा संबंधित संचालक को मान्य होगा।

14. संवेदक को एक माह के नोटिस पर मोबाईल फूड वैन के संचालन को बंद करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

15. सभी वैधानिक करों यथा आयकर, सेवा कर, वैट इत्यादि/देयताओं का भुगतान सफल निविदाकर्त्ता को अलग से अपने स्तर से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी निविदाकर्त्ता की होगी।

16. सफल निविदाकर्त्ता मोबाईल फूड वैन का संचालन उद्यान में दर्शकों के लिए निर्धारित दर्शन अवधि में ही करेंगे। **वे मोबाईल फूड वैन को प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे उद्यान में लायेंगे तथा गाड़ी पर ही खाद्यान सामग्री कर बिक्री कर संध्या 6.00 बजे तक अपनी गाड़ी उद्यान के बाहर निकाल लेंगे।** प्रत्येक सोमवार को उद्यान बंद रहता है। अतः सफल निविदाकर्त्ता को प्रत्येक सोमवार को मोबाईल फूड वैन उद्यान में नहीं लाना होगा। इसके अतिरिक्ति विशेष परिस्थितिवश यदि किसी दिन उद्यान बंद किया जाता है तो बिना किसी हर्जाना के सफल निविदाकर्त्ता को सामग्रियों की बिक्री बंद रखनी होगी। संचालक एवं उनके कर्मी को पहचान–पत्र दिखाकर प्रातः 8.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक उद्यान में आने–जाने की अनुमति (सोमवार को छोड़कर) होगी।

17. सफल निविदाकर्त्ता को ग्राहकों के बैठाने के लिए किसी तरह का कुर्सी, टेबल, बेंच नहीं लगाना होगा।

कृ०पृ०उ०

18. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना एक 'पॉलीथीन निषिद्ध' क्षेत्र हैं। अतः सफल निविदाकर्त्ता, ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति के लिए पॉलीथीन, थर्मोकोल/स्टैरोफोम के प्लेट्स, ग्लास इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। धोने वाले किसी बर्तन, थाली, प्लेट्स का उपयोग नहीं करेंगे। जो भी प्लेट का उपयोग करेंगे वह डिस्पोजिबुल प्लेट (disposable plates) होना चाहिए ताकि किसी भी प्लेट को धोने की आवश्यकता न पड़े।

19. **सफल निविदाकर्त्ता मोबाईल फूड वैन में बेचे जाने वाले कोई भी खाद्य सामग्री उद्यान में नहीं बनायेंगे एवं न ही पकायेंगे और न ही चूल्हा/गैस चूल्हा जलायेंगे। खाद्य सामग्रियाँ केवल बाहर से बनवा/पकवा कर लायेंगे। खाद्य सामग्रियों की बिक्री इको–फ्रेंडली सामानों में करेंगे। बाहर से लाये गये रेडीमेड खाद्य सामग्रियों को इलेक्ट्रिकल ओवेन (electrical oven) में गर्म करने की अनुमति होगी। जूस, काफी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन का उपयोग कर सकते हैं परन्तु इसकी भी बिक्री कागज के ग्लास में करने की अनुमति होगी। पैक्ड मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स की बिक्री तथा प्लास्टिक बोतल इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित है। बिजली उपयोग करने की स्थिति में रू० 8/– प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना होगा।**

20. सफल निविदाकर्त्ता मोबाईल फूड वैन पर सामग्रियों का **सूची दर** लगायेंगे जिसमें सामग्री का नाम, उसका आकार एवं मात्रा तथा दर अंकित रहेगा। साथ ही उसपर उद्यान के पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर एवं निदेशक कार्यालय का दूरभाष नम्बर, ई–मेल सहित, ग्राहकों/दर्शकों की सुविधा के लिए प्रदर्शित किया जायेगा।

21. सफल निविदाकर्त्ता को मोबाईल फूड वैन से बेचे जाने वाले सामग्री यथा खाद्य सामग्री, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि का दर, सामग्री की मात्रा/आकार, सामग्री का वज़न जो मान्य हो, निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। संचालक द्वारा खाद्य सामग्रियों की बिक्री औसत बाजार दर पर की जायेगी जिसके दर का निर्धारण निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा गठित समिति के अनुशंसा पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा किया जायेगा। निर्धारित दर एवं आकार/विशिष्टियाँ से भिन्न खाद्य सामग्रियों की बिक्री करते पाये जाने पर निविदा रद्द करने एवं जमानत राशि को राज्यसात करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

22. सफल निविदाकर्त्ता मोबाईल फूड वैन को उद्यान में बने सड़क से कम से कम 5 फीट अन्दर खड़ा करेंगे। सफल निविदाकर्त्ता को उद्यान में प्रतिबंधित सामग्री यथा बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मांस, मछली एवं मदिरा की बिक्री नहीं करनी होगी। संचालक एवं उनके कर्मियों के द्वारा बिक्री या सेवन करते हुए पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा की जायेगी।

23. सफल निविदाकर्त्ता को कम्पनी के खाद्य पदार्थ, सीलबंद सामग्री केवल एम.आर.पी. पर ही बेचने की अनुमति होगी। **मोबाईल फूड वैन से बेचे जाने वाले सामानों के लिए ग्राहकों को रसीद देना अनिवार्य होगा।** सरकार द्वारा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं करनी होगी। ग्राहकों को उचित रसीद निर्गत नहीं करने की स्थिति में सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के तहत् दंडात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा करते हुए निविदा को रद्द करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

24. मोबाईल फूड वैन पर अथवा उसके आसपास के परिसर में किसी कम्पनी इत्यादि का प्रचार सामग्री लगाना या बढ़ावा देना वर्जित होगा। मोबाईल फूड वैन पर कार्यरत सफल निविदाकर्त्ता के कर्मियों को शोर—हल्ला करना वर्जित होगा। ग्राहकों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना उनका प्रथम कर्त्तव्य होगा। वे उद्यान के नियमों के विरूद्ध कार्य नहीं करेंगे।

25. सफल निविदाकर्त्ता, मोबाईल फूड वैन पर सामग्रियों की बिक्री के लिए अधिकतम तीन व्यक्ति को साथ रख सकते हैं। उन सभी व्यक्तियों का पूरा पता, फोटो सहित पहचान—पत्र दो प्रतियों में, निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में जमा करेंगे तथा **उनकी पहचान के लिए सफल निविदाकर्त्ता अपने स्तर से उन्हें वर्दी देंगे**। बिना वर्दी के कोई कर्मचारी उद्यान के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

26. सफल निविदाकर्त्ता को उनके खर्च पर कम से कम चार कूड़ादान (डस्टबिन) रखना अनिवार्य होगा जिसकी सफाई प्रत्येक दिन दर्शक अवधि के उपरान्त संध्या में उद्यान परिसर से करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में एक दिन का कूड़ा, अगले दिन के दर्शक अवधि शुरू होने तक नहीं रखना होगा। कूड़ा—कचरा को फुड काउन्टर की नाली में नहीं फेंकना होगा। सफल निविदाकर्त्ता को काउन्टर परिसर एवं उसके आस—पास के स्थल में खाद्य साम्रगी के बर्तन (जिसमें उद्यान के बाहर से खाद्य सामग्री लाये जाते हैं, फुड काउन्टर में भंडारित किए जाते हैं तथा जिसमें रखकर बेचे जाते हैं) को धोना वर्जित होगा।

27. यदि किसी प्रकार के कानूनी व्यवधानों के कारण संबंधित प्रशासन/प्राधिकार द्वारा मोबाईल फूड वैन को बंद कराया जाता है तो वैसी स्थिति में इसके लिए संचालक स्वंय जिम्मेवार होंगे तथा उन्हें मासिक रेंट भुगतान करना होगा अन्यथा उनके द्वारा जमा प्रतिभूति/जमानत राशि को राज्यसात कर लिया जायेगा।

28. मोबाईल फुड वैन अच्छी हालत में एवं प्राकृतिक रंग की होनी चाहिए। सफल निविदाकर्त्ता को मोबाईल फूड वैन के आस—पास के स्थल को साफ—सुथरा (**स्वच्छ एवं स्वस्थ**) तथा **बदबूरहित** रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना के भागी होंगे एवं इसके संबंध में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं निविदाकर्त्ता को मान्य होगा।

29. यदि सफल निविदाकर्त्ता द्वारा उपरोक्त शर्त्तों के किसी कंडिका का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में आवश्यक जाँचोपरान्त निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को अधिकार होगा कि वे सफल निविदाकर्त्ता को एक सप्ताह के समय का नोटिस देकर उनके जमानत/प्रतिभूति राशि को राज्यसात कर लें तथा मोबाईल फूड वैन को बंद कर दें।

30. निदेशक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि जब आवश्यकता होगी वे किसी भी खाद्य सामग्री की बिक्री को पूर्णतः या अंशतः अवधि के लिये बंद कर सकेंगे।

31 निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों को फुड काउन्टरों पर बेचे जा रहे सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता, दर, ग्राहकों के साथ व्यवहार, डिस्पोजिबुल प्लेट/ग्लास (disposable plates/glass) की उपयोगिता की स्थिति, परिसर के स्वच्छता की स्थिति का औचक निरीक्षण करने का पूरा अधिकार होगा।

32. किसी भी विवाद का निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।

33. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को बिना कारण बताये किसी या सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

निदेशक।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में मोबाईल फूड वैन पर खाद्यान सामग्रियों की बिक्री के लिए

तकनीकी बिड का प्रपत्र

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सूचना
1	निविदा प्रपत्र क्रय का प्रमाण।	
2	यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो टेन्डर प्रपत्र की राशि के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रू० 2000/– (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट।	
3	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रू० 50,000/–(रूपये पचास हजार) के अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।	
4	G.S.T. से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति।	
5	निविदाकर्त्ता द्वारा अद्यतन वार्षिक जी०एस०टी० रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। (*)	
6	पैन/टैन के निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। निविदाकर्त्ता विगत दो वर्षों (वर्ष 2016–17 एवं 2017–18) का आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
7	पहचान–पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।	
8	निविदा समर्पित करने के लिए योग्यता एवं रूपरेखा अर्थात् अनुभव, वर्त्तमान् में कहाँ और किस प्रकार के विधिवत निबंधित होटल/रेस्तराँ का संचालन किया जा रहा है।	
9	फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र की मूलप्रति।	
10	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्त्ता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा–पत्र।	

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं पता

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में मोबाईल फूड वैन पर खाद्यान
सामग्रियों की बिक्री के लिए
वित्तीय बिड

प्रेषक,

नामः—
पिता का नामः—

पत्राचार का पताः—
दूरभाष / मोबाईल संख्या—

सेवा में,

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में दिनांक 01—01—2019 से 30—04—2019 (चार माहं) तक **मोबाईल फूड वैन पर खाद्यान** सामग्री की बिक्री के लिए मैं रूपये......... (रूपये...) प्रति **मोबाईल फूड वैन** प्रतिमाह का दर अर्पित कर रहा हूँ। मेरे द्वारा अर्पित दर कर—रहित है और इसमें किसी प्रकार का कर शामिल नहीं है। सभी प्रकार के करों के भुगतान के लिए मैं स्वंय जिम्मेवार हूँ।

2— उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।

3— यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका—7 के अनुसार एक वर्ष के रेंट (किराया) की राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि प्रतिभूति / जमानत राशि के रूप में जमा करूंगा।

4— मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा / पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

आपका विश्वासी,

घोषणा–पत्र

मैं.. पिता का नाम..
.........................ग्राम.................................... पो० .... थाना.......................
.... जिला...................घोषणा करता हूँ कि मैं ....
....(विभाग/कार्यालय का नाम) में ....
से .... अवधि तक के लिए निबंधित होटल / निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर का संचालन किया है तथा उस विभाग/कार्यालय द्वारा मुझे कृष्णचिन्हित किया/नहीं किया गया है।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

तिथिः–